http://164.100.196.245:8080/Activity_...

35

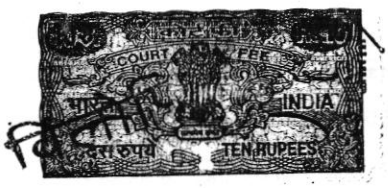

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

विविध /2017 PBR/निगरानी/खरगौन/भू-रा/2017/1865

1. भाईराम पिता मोतीराम गुजर आयु 62 वर्ष कार्य –कृषि
2. दुरपतबाई पिता मोतीराम गुजर आयु 50 वर्ष कार्य –कृषि
3. श्रीमती सरस्वतीबाई बेबा मोतीराम गुजर आयु 85 वर्ष कार्य–ग्रहकार्य सभी निवासीगण –ग्राम जेठवारा तहसील –बडवाह जिला –खरगौन म.प्र. ।

.........आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 23-6-17 को प्रस्तुत

23.6.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. अवधेश कुमार चतुर्वेदी तहसीलदार वडवाह जिला खरगोन म.प्र. ।
2. भीकाजी पिता जयरामजी गुजर
3. बबुलाल पिता भीकाजी
4. भगवान पिता काशीरामजी
5. दुर्गराम पिता भगवानजी
6. नारायण पिता वंशीरामजी गुजर

समस्त निवासीगण जेठवाडा तहसील वडवाह जिला खरगोन म.प्र.

............अनावेदकगण

23/6/17

अवमानना अधिनियम की धारा –12 के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 कें अंतर्गत ।

श्रीमान जी,

आवेदकगण की ओर से अवमानना आवेदन पत्र सविनय निम्न प्रकार है

1. यह कि , आवेदकगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील बडवाह जिला खरगोन के राजस्व प्रकरण क 03/अ–13/2014–15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 6–8–2016 जिससे अनावेदक क 1 विद्धवान तहसीलदार महोदय द्धारा धारा 32 की शक्तियो का गलत रूप से उपयोग करते हुये अनावेदकगण क 1 लगायत 6 को भूमि स्थिति ग्रम घोघनाथ प.ह.न. 12 राजस्व वृत्त 01 बडवाह जिला खरगोन स्थिति भूमि सर्वे कमाक 123/1,123/2 व 123/3 में जाने के लिये आवेदकगण की भूमि सर्वे कमाक 109 से रास्ता खेत तक जाने के लिये अनावेदकगण को उपलब्ध कराये जाने के आदेश 6.8.2016 को प्रदान किये गये जिस विवादित आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्धारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी 3.10.2016 को प्रकरण को ग्रह किया एंव रिकार्ड हेतू आदेश प्रदान किये गये उसके वाद आवेदकगण द्धार उक्त प्रकरण में शीघ्र सुनवाई कर स्थगन आदेश दिनांक 20.10.2016 को प्राप्त कर आलोच्य आदेश का कियान्वयन स्थिगित करालिया जिस स्थगन आदेश दिनांक 20. 10.2016 की प्रमाणित प्रति सहित दिनांक अधिनस्थ न्यायालय के कार्यालय मे दिनांक 22.10.2016 को प्रस्तुत कर दिया गया जिस पर कोई कार्यवाही नही हुई जिसकी प्रति अनेक्चर पी–1 है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निग/~~ग्वालियर~~/भू.रा./17/1865 **जिला खरगोन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.9.2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 6–1–17 को तहसीलदार के आदेश पर यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये हैं, क्रियान्वयन स्थगित नहीं किया गया है और ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवमानना किया जाना प्रथमदृष्टया परिलक्षित नहीं होता है । अतः यह अवमानना का प्रकरण निरस्त किया जाता है । अध्यक्ष	